

राजस्थान सरकार
निदेशाला, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज0 जयपुर
क्रमांक:- ई-33/लै.टै./ (एफ-1603पार्ट)/2023/543 दिनांक : 25/8/2023

आदेश

श्री गिर्राज शर्मा, सहायक रेडियोग्राफर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नायला (जयपुर) के दिनांक 23.06.2023 से 07.07.2023 तक कुल 15 दिवस तक पितृत्व अवकाश राजस्थान सेवा नियम 1965 के नियम 103-ए के अंतर्गत एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज., जयपुर

क्रमांक:- ई-33/लै.टै./ (एफ-1603पार्ट)/2023/543 दिनांक : 25/8/2023
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नायला, जयपुर।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।
4. संबंधित सहायक रेडियोग्राफर कर्मचारी को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज., जयपुर